दिनांक– 12.01.2017 को श्री चैतन्य प्रसाद, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में निश्चय योजनान्तर्गत हर घर नल जल के कार्यान्वयन हेतु आयोजित कार्यशाला की कार्यवाही :–

दिनांक– 12.01.2017 को मुख्यमंत्री निश्चय योजना अन्तर्गत हर घर नल–जल के कार्यान्वयन हेतु विभागीय सभागार में पूर्वाह्न 10.00 बजे प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला में बिहार राज्य जल पर्षद के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य अभियंता तथा जिला शहरी विकास अभिकरण के अभियंतागण, निश्चय योजना के सभी नोडल पदाधिकारी (अभियंता) उपस्थित थे।

उपस्थितिः– पंजी के अनुसार।

कतिपय जिला के कार्यपालक अभियंता (डुडा) यथा पश्चिमी चम्पारण, सीतामढी, शिवहर, मधुबनी, अररिया, भागलपुर, बांका, खगड़िया, भभुआ एवं बक्सर अनुपस्थित थे। फलतः उक्त जिलों के कार्यपालक अभियंतागण को पुनः आमंत्रित कर हर घर नल–जल योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रशिक्षण दिये जाने का निर्णय लिया गया।

1. उक्त कार्यशाला में सर्वप्रथम प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री निश्चय योजना अन्तर्गत हर घर नल–जल योजना के कार्यान्वयन हेतु मुख्य बिन्दुओं पर निदेश दिया जो निम्नवत् हैः–

(i) वितरण प्रणाली में मॉडल प्राक्कलन के अनुसार मुख्य पाईपों के लिए HDPE, House to House Connection के लिए MDPE एवं Exposed भाग अथवा Vertical भाग के लिए CPVC पाईपों का प्रयोग किया जाना है।

(ii) सभी कार्यपालक अभियंताओं को निदेश दिया गया कि वे वार्ड स्तर पर लोक भागीदारी के माध्यम से तथा संबंधित नगर निकायों से समन्वय स्थापित कर बोरिंग हेतु स्थल चयन कर चिन्हित कर लें।

(iii) यह भी निदेश दिया गया कि प्रत्येक वार्ड के लिए पूर्व में यथा निदेशित 250, 500, 1000 एवं 1500 परिवारों के Cluster का चयन करते हुए लोक भागीदारी के माध्यम से योजना तैयार कर कार्यान्वयन करायें।

(iv) निदेश दिया गया कि कार्यपालक अभियंता जिलें में अवस्थित सभी नगर निकायों के नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर हर घर नल–जल योजना का कार्यान्वयन ई–टेंडरिंग के माध्यम से ही निविदा आमंत्रित कर कराना सुनिश्चित करेंगे।

2. कार्यशाला में सभी अभियंताओं के समक्ष हर घर नल–जल योजना में मॉडल प्राक्कलन के अनुसार लगने वाले HDPE एवं MDPE पाईपों का भी प्रदर्शन किया गया एवं पाईपों के संबंध में निम्न जानकारी दी गयीः–

(i) पाईप के संबंध में BRJP के मुख्य अभियंता के द्वारा बताया गया कि HDPE की गुणवता IS 4984–1995 के अनुरूप होनी चाहिए।

(ii) HDPE बाजार में 200mt की लंबाई में उपलब्ध है तथा पाईप के प्रत्येक मीटर लम्बाई पर Date of Manufacturing, CML No, Pressure rating अंकित रहता है।

(iii) HDPE पाईप के Outer surface पर नीले रंग का strip पूरी लम्बाई में रहता है।

(iv) Model Estimate में HDPE पाईप का Pressure rating PN 8 का ही उपयोग करना है।

(v) कार्यशाला में HDPE के पाईप को ज्वाइंट तथा पाईप में fixtures लगाने संबंधी Demonstration भी दिया गया। इससे यह स्पष्ट हुआ कि दो HDPE पाईप का Jointing अथवा Welding किस तरह किया जाना है।

(vi) BRJP के अभियंता द्वारा बताया गया कि पाईप Laying के समय HDPE Pipes को जहाँ Bend करना है वहाँ Joint Point को दोनों तरफ से 1' लम्बाई में concreting करने हेतु support करना है ताकि पानी के Back Thrust से Joint Point पर Leakage नहीं हो।

(vii) BRJP के मुख्य अभियंता द्वारा कार्यशाला में यह भी बताया गया कि Main Distribution network में HDPE Straight length में जितना कम Joints हो उतना ही System Leakage Proof होगा।

(viii) मुख्य अभियंता, BRJP द्वारा बताया गया कि Distribution network में प्रयुक्त होने वाले HDPE Pipes, MDPE Pipes, CPVC Pipes एवं पाईप के सभी Fixtures की Third Party Inspection CIPET (भारत सरकार का उपक्रम) से किया जाना चाहिए।

(ix) Distribution network में पाईप में लगने वाले Fittings एवं Fixtures भी उसी manufacturing कम्पनी का होना चाहिए, जिस Manufacturing compnay का HDPE एवं MDPE पाईप का प्रयोग योजना में किया जा रहा है।

3. कार्यशाला में HDPE एवं MDPE पाईप के Demonstration के उपरान्त प्रधान सचिव द्वारा निम्न निदेश दिये गये–

(i) हर घर नल–जल योजना हेतु निविदा आमंत्रण सूचना में संवेदक को उन्हीं manufacturer से HDPE, MDPE, एवं CPVC पाईप का क्रय करना होगा, तथा उनके Fixtures का क्रय करना होगा, जिनका material ISI Marked होगा तथा Third Party inspection CIPET से कराना होगा।

(ii) निविदा आमंत्रण सूचना में यह शर्त्त भी अंकित करना है कि संवेदक द्वारा जिस चिन्हित स्थान पर बोरिंग किया जायेगा वहाँ के वाटर सप्लाई Source के गुणवत्ता की जाँच जिलों में अवस्थित पी0एच0ई0डी0 की जल गुणवत्ता प्रयोगशाला से कराना होगा। इस संबंध में पी0एच0ई0डी0 के पास वाटर सप्लाई quality Data भी उपलब्ध है। तद्नुसार प्रभारी अभियंता (डुडा कार्यपालक

अभियंता) पी0एच0ई0डी0 में समन्वय कर वाटर QUALITY DATA के संबंध में जानकारी प्राप्त कर मॉडल प्राक्कलन के अनुसार योजना का चयन करते हुए लोक भागीदारी के माध्यम से करायेंगे।

(iii) कार्यशाला में उपस्थित सभी कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि नगर निकायों द्वारा बोरिंग हेतु चिन्हित स्थलों के अनुसार आवश्यकतानुसार 250, 500, 1000 एवं 1500 परिवारों के Cluster में जलापूर्त्ति हेतु पूर्व से बिछे हुए एवं बिछाये जाने वाले Distribution Network तैयार कर लें तथा तत्संबंधी Drawing प्राक्कलन के साथ संलग्न रहना चाहिए ताकि योजनाओं के Duplication की संभावना नहीं रहें।

(iv) हर घर नल–जल योजना के Commissioning के उपरान्त 5 वर्ष संचालन एवं रखरखाव हेतु Project Cost का 2% प्रतिवर्ष की दर से प्राक्कलन में प्रावधान किया जाना चाहिए।

उक्त 2% राशि संवेदक द्वारा किये गये कार्य के मूल्य का होगा तथा संवेदक को 5 वर्ष तक उनके द्वारा किये गये कार्य यथा बोरिंग, Distribution System आदि में कोई समस्या/Leakage आने पर उसकी मरम्मत करनी होगी तथा संतोषप्रद पाये जाने पर ही रख–रखाव एवं अनुरक्षण मद की राशि का भुगतान उन्हें किया जाना चाहिए। 5 वर्ष का रखरखाव Defect libility period के पश्चात निश्चित रूप से कार्यकारी संवेदक द्वारा किया जाएगा।

(v) निदेशित किया गया कि किसी भी हालत में सामग्रियों के आपूर्त्ति पर भुगतान नहीं किया जायेगा। हर स्थिति में स्वीकृत प्राक्कलन के प्रावधानित मदों का कार्य पूर्ण होने पर ही अर्थात Finished Rate पर ही भुगतान किया जाना है।

(vi) कार्यशाला में निदेश दिया गया कि हर घर नल–जल योजना के प्राक्कलनों की तकनीकी स्वीकृति की सक्षमता एवं निविदा निष्पादन की सक्षमता नगर विकास एवं आवास विभाग की संकल्प सं0– 3580, दिनांक– 13.07.2015 के अनुरूप ही सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता को रहेगी।

(vii) यह भी निदेश दिया गया कि जिन जिलों में BRJP द्वारा राज्य योजना अथवा AMRUT योजना अन्तर्गत जलापूर्त्ति योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है अथवा किया जाना है, उन जिलों के सभी निकायों को तकनीकी सहयोग BRJP/नगर विकास एवं आवास विभाग के अभियंत्रण कोषांग द्वारा किया जायेगा तथा शेष जिलों में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/डुडा/बुडा द्वारा किया जायेगा।

BRJP द्वारा विभिन्न शीर्षों में जलापूर्त्ति कार्य का कार्यान्वयन कराये जा रहे जिलों के नाम निम्नलिखित हैः–

वैशाली, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, सारण, आरा, सिवान, औरंगाबाद, सासाराम, किशनगंज, बेगूसराय, सहरसा, मुंगेर, कटिहार, नालंदा, जहानाबाद, बक्सर, दरभंगा, पूर्णिया, सीतामढ़ी, नवादा, गोपालगंज, मधेपुरा, पटना, भागलपुर, अरवल, सुपौल, समस्तीपुर एवं शिवहर

(viii) प्रधान सचिव द्वारा स्पष्ट निदेश दिया गया कि राज्य योजना अन्तर्गत प्रत्येक नगर निकाय द्वारा "हर घर नल–जल" योजना की निविदा जनवरी के अंतिम सप्ताह तक हर हाल में कर लिया जाय तथा शिथिलता बरतने वाले पदाधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

अन्त में सधन्यवाद कार्यशाला का समापन किया गया।

17/1/2017

(चैतन्य प्रसाद),
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/जला०–01–118/2016 282 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 19/01/17

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, सभी जिला शहरी विकास अभिकरण, बिहार/सभी जिले के विभागीय नोडल पदाधिकारी/नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद् एवं सभी नगर पंचायत/कार्यपालक अभियंता, सभी जिला शहरी विकास अभिकरण, बिहार को सूचनार्थ एवं शीघ्र अनुपालन हेतु प्रेषित।

17/1/2017

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/जला०–01–118/2016 282 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 19/01/17

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/प्रबंध निदेशक, बुडको/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद/मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

25

17/1/2017

सरकार के प्रधान सचिव।